

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
द्रष्टा॒ प्रदेश, लखनऊ।

सेवा मे

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,
डा० राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय
गोमती नगर लखनऊ।

संख्या—प्रशिक्षणको०/०२/२०१४/

विषय—बाबा एजूकेशन सोसाइटी एण्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, ५६-मठियारी, बिनहट, लखनऊ की जी०एन०एम० उच्च/छात्राओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महादय,

कृपया उपरोक्त विषयक निदेशक, बाबा एजूकेशन सोसाइटी एण्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स लखनऊ के प्रार्थना पत्र दिनांक २०.११.२०१७ एवं शासनादेश संख्या-१०३/पौच-८-२०१५-एन(१३८) /२००८.टी०सी० दिनांक २३.०४.२०१५ का संदर्भ ग्रहण करने का कदम बरें।

इस सब्ब मे कहना है कि शासन के पत्र संख्या-१०३/पौच-८-२०१५-एन(१३८) /२००८.टी०सी० दिनांक २३.०४.२०१५ एवं शासनादेश संख्या-२५१९/पौच-८-२०१२-एन०(१३८) /२००८, दिनांक २५.१०.२०१२, मे दिनांक २३.०४.२०१५ एवं शासनादेश संख्या-२५१९/पौच-८-२०१२-एन०(१३८) /२००८, दिनांक २५.१०.२०१२ मे दी गयी शर्तों के अवधारणा एजूकेशन सोसाइटी एण्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स लखनऊ मे प्रशिक्षणरत् अधीक्षक जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा दुर्घटना/संतुष्टियों की झूठि होने की समावना (६०) जी०एन०एम० उच्च/छात्राओं को डा० राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय गोमती नगर लखनऊ के उद्धीन (वर्ष २०१७) द्वारा व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने की अनुमति निम्न शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है।

- १- सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण की डिश्ट्री जिला चिकित्सालय पर नियमित रूप से कार्यस्त उपचारिकाओं के द्वारा लगायी जायेगी जिससे मरीजों को चिकित्सीय सुविधा सुचारा रूप से प्राप्त होगी तथा जिसी संस्था की उपचारिका प्रशिक्षण के राजकीय चिकित्सालयों मे कोई दुर्घटना/संतुष्टियों की झूठि होने की समावना अधीक्षक जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रक्रिया कर जायेगी की संस्तुष्टि करने तथा नुस्खा उपचारिका प्रशिक्षण की अवधि का होगा।
- २- सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण का प्रक्रिया हेतु प्रशिक्षण संस्था द्वारा अन्यका उपचारिका प्रशिक्षण के दर से छ नाह हेतु रूपया-१०००/- द्वारा चार्जेज के रूप मे जमा किया जायेगा।
- ३- निजी फैब्र के सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्थानों को अधिकतम ०५ वैच को ही व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। उक्त अनुमति नुस्खा विकास अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी वी संयुक्त आख्या पर महानिदेशक की संस्तुष्टि के आधार पर शासन द्वारा ०५ वैच हेतु निर्भत की जायेगी।
- ४- सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्था की शासन द्वारा निर्भत अनुमति का नवीनीकरण गुणवत्ता के आधार पर वर्ष-प्रति वर्ष प्रस्तर-३ मे वर्णित अवधि तक के लिये महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, उ०ग्र० द्वारा किया जायेगा।
- ५- उक्त सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्थानों को दी गयी अनुमति को बिना कोई कारण बताये किसी भी समय शासन द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

नवदीप,

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

पत्र संख्या—प्रशिक्षणको०/०२/२०१४/ ७५६८

उद्दिदिनांक।
✓प्रतिलिपि: प्रभानाधार्य डा० एजूकेशन सोसाइटी एण्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, ५६-मठियारी, बिनहट
लखनऊ।

Baba Educational Society
Institute Of Paramedical
College of Nursing
Chinhat, Lucknow-226028

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

अति महत्त्वपूर्ण

कायालय— पन्स पोलियो /टीकाकरण विभाग ढांचे राम मनोहर लोहिया संयुक्त विकासालय
गांधी नगर, लखनऊ.

廿四

द्वारा एस-०के०श्रीवास्तव
नोडल अधिकारी
पल्स पोलियो कार्यक्रम
द्वारा साम भनोहर लाहिया संयुक्त चिकित्सालय गोमती नगर जोन लखनऊ

卷之三

निदंशक
बाबा पैरामेडिकल कालेज चिनहट
लखनऊ

दिनांक: 19.06.2017

विषय – पल्स पोलियो अभियान चरण 2 जलाई 2017 में डियूटी के सम्बन्ध में।

गाहौदय

दिनांक 02/07/17 से 07/07/17 तक 80 पैरामेडिकल छात्रों (ए०एन०एम० एवं जी०एन०एम०) की डियूटी पल्स पोलियो अभियान के अन्तर्गत गोमती नगर क्षेत्र में लगाई गई है। एवं पालियो प्रतिक्षण दिनांक 22/06/2017 एवं 27/06/2017 को समय 10 बजे से 5 बजे तक होगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त पैरामेडिकल छात्रों को भेजने का कष्ट करें।

कार्यक्रम विवरण				
क्रम	दिनांक	समय	कार्यक्रम स्थल	कार्यक्रम
1	22 / 06 / 17	10 बजे से 1 बजे तक 2 बजे से 5 बजे तक	RML Hospital <i>५०</i>	पोलियो प्रशिक्षण , समाक्ष डा० राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय
2	27 / 06 / 17	10 बजे से 1 बजे तक 2 बजे से 5 बजे तक	RML Hospital <i>३०</i>	पोलियो प्रशिक्षण , समाक्ष डा० राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय

डा० एस०कौशीवास्तव
पल्स पोलियो कार्यक्रम
गोमती नगर जोन ,लखनऊ
फोन नं० ९४१५०८०३३४, ९९५६७९८७४१

aged titanium substrate

संस्कृत विद्या के लिए अपनी विशेषताएँ और उत्तमता के लिए इसकी विशेषता है। यह विद्या ज्ञान का एक विशेषजट संग्रह है, जो विद्यार्थी को ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में विस्तृत ज्ञान देती है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें विद्यार्थी को विभिन्न विषयों के बीच की संबंधितता और विवरण की विविधता दर्शाती है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें विद्यार्थी को विभिन्न विषयों के बीच की संबंधितता और विवरण की विविधता दर्शाती है।

300

मायग्राम लक्ष्मीसुल पिलाका निवासिम् बाला इन्होंनांन सौभाग्याई पुणे इस्टर्नद्यूप शीक निवासिकाना अवाक्तव्य के घोषित एवं दिनांक 15.12.2017 एवं राजस्थानी संख्या-3731/पीडी-ए-2014-इग(136) /2026टीटीपी० दिनांक 23.12.2014 दा घोषी घोष भावने का आवध करै।

इस विषय में बहना है कि सरकार ने यह समय-3731/पीट-8-2014-एच(136)/2008 द्वितीय दिन 23-2-2014 तक सामग्रीके समय-2010/पीट-8-2012-एच(136)/2008 दिनक 25-10-2012, में दी गई रातों के अद्वैत द्वारा एन्डीएस लोगोंद्वारा एवं इसीलिए प्राप्त विवरिकान्स आवश्यक ने प्रतिवर्ष (50) जीवनसाथी प्राप्त सामग्री को युक्त छिलका, अधिकारी के अधीन सम्मुख्यान लेकर दिनहर लकड़ियों से (पर्व 20-16) हेतु व्यवहारिक प्रतिवर्ष प्रबन्ध बनाने की अनुमति दिए गए एवं प्रतिवर्षों ते अद्वैत प्रदान की जाती है।

- १- राजपत्र नियमितिका प्रतिक्रियाएँ की गिनती जिसे विभिन्नतालय द्वरा नियंत्रित कर सकारात्मक प्रवर्धनशक्तियों के साथ तगड़ी जटिली विसर्जनी परीक्षाएँ द्वारा विभिन्नतालय द्वारा कर्तव्य से प्राप्त होनी वाला जिन्हीं संस्थाएँ की उपचारित्व प्रतिक्रियाएँ द्वारा राजपत्र विभिन्नतालयों द्वारा होनी चाहीं होने की अपेक्षा अधिक जिसे विभिन्नतालय संबोधित करता हो वह डेंगू कर साकारात्मक की संभवता बढ़ावदेते हुए मुख्य विभिन्नता अधिकारक संस्करण प्रतिक्रियाएँ को प्रतिशत पूर्ण होने वाले व्यवहारिक इतिहास का समाप्त एवं निर्मल करते हैं। ऐसा आवश्यकित प्रतिक्रियालय नियमित तरीके से गहरी की अपेक्षा या होता।
 - २- राजपत्र नियमितिका प्रतिक्रियाएँ द्वारा विभिन्नतालय संस्थाएँ द्वारा इच्छितका प्रतिक्रियालय द्वारा दो तरीकों से देखा जाता है। एक तरीका विभिन्नतालय संस्थाएँ द्वारा इच्छितका प्रतिक्रियालय द्वारा दो तरीकों से देखा जाता है।
 - ३- नियमित दोनों दो समाचार व्यवस्थाओंका विभिन्नतालय संस्थानों द्वारा अधिकारक ०५ दैनिक को दी गयावासनिक प्रतिक्रियालय द्वारा दोनों दो अनुसृती द्वारा की जाती है। उसका अनुसृती ग्रन्ति विभिन्नतालय की अधिकारी एवं मुख्य विभिन्नतालय की अधिकारी की सम्बन्ध जारी रखने पर गवानिदेशक की शास्त्रीयता के अधार पर शासन द्वारा ०५ वर्षों होने वाली नियंत्रित की जाती है।
 - ४- राजपत्र नियमितिका प्रतिक्रियालय संस्थाएँ की शासन द्वारा नियंत्रित ज्ञानपत्री का नवीनीकरण ग्रन्ति विभिन्नतालय एवं समाचार संस्कृत एवं उत्तम द्वारा किया जातेहैं।
 - ५- उक्त सामाजिक व्यवस्थाओंका प्रतिक्रियालय संस्थानों द्वारा दोनों अनुसृती दो विभिन्न संस्कृत विभिन्नतालय एवं समाचार संस्कृत द्वारा विभिन्न तरीके से सम्बन्ध द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

二四

संस्कृत विद्यालय (प्रतिष्ठान)

पर्यावरण-प्रदूषकातील / १२ / २०३४ /

तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि: प्रधानमंत्री, बाबू एच्यूकेश्वर सोलाइटी एवं इन्स्टीट्यूट कीफ पैसेमेंट्स, ५०-प्रिंसिपल, विहार, लखनऊ

संयुक्त निदेशक (प्रतिक्रिया)

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद-लखनऊ।

पत्रांक: म०धि०अ० / निजीचि०प्र० / प्रशि० / 2017 / 16216-४

दिनांक : २२/१२/१७

- प्रतिलिपि चिकित्साधीक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिनहट, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस निर्देश के साथ प्रेषित कि महानिदेशालय के उपरोक्त पत्र में वर्णित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करायें तथा इस तथ्य का विशेष ध्यान रखा जाये कि प्रशिक्षण अवधि में चिकित्सालय का राजकीय कार्य किसी भी दशा में बाधित न होने पाये।
 - प्रतिलिपि प्रधानाचार्य, बाबा एजूकेशनल सोसाइटी एण्ड इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, 56-मटियारी, चिनहट, लखनऊ को सूचनार्थ।
 - प्रतिलिपि क्षेत्रीय अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 - प्रतिलिपि महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

Baba Educational Society
Institute Of Paramedical
College of Nursing
Chandrila, Lucknow-226028

मुख्य विकित्सा अधिकारी
लखनऊ

प्रधान,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सेवाये,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सदृश में

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
लखनऊ।

संख्या—प्रशिक्षणप्रक्रो०/०२/२०१४ / ५३३५

लखनऊ, दिनांक १/१/ 2019

विषय: जी०एन०एम० छात्र/छात्राओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु अनुगति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विधयक कृपया निदेशक, बाबा एजूकेशन सोसाइटी एण्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, लखनऊ के पत्र संख्या—४८६/२०१९, दिनांक ०१.११.२०१९ का सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे।

उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि महानिदेशालय के पत्र संख्या—प्रशिक्षणप्रक्रो०/०२/२०१४ / ४३१३ दिनांक ३०.०८.२०१९ में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चिनहट का अंकन नहीं है जिसके कारण मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ द्वारा चिकित्सा अधीकार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चिनहट, लखनऊ का आवंटन आदेश निर्गत नहीं किया गया है।

इस सम्बन्ध में कहना है कि शासन के पत्र ३७३१/पांच-८-२०१४-एन(१३८)/२००८, टी०सी० दिनांक ०३.१२.२०१४ में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चिनहट, लखनऊ का अंकन किया गया है किन्तु महानिदेशालय के पत्र दिनांक ३०.०८.२०१९ में टंकण त्रुटिवश सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चिनहट, लखनऊ का अंकन नहीं किया गया है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि बाबा एजूकेशन सोसाइटी एण्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, लखनऊ में प्रशिक्षणरत (६०) जी०एन०एम० छात्र/छात्राओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चिनहट, लखनऊ में (वर्ष २०१९) व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने का कष्ट करें। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

मवदीय,

निदेशक (प्रशिक्षण)
तददिनांक

संख्या : प्रशिक्षणप्रक्रो०/०२/२०१४ /

प्रतिलिपि : निदेशक, बाबा एजूकेशन सोसाइटी एण्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, लखनऊ को उनके पत्र संख्या—४८६/२०१९, दिनांक ०१.११.२०१९ के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संदर्भ-

मुख्य विकास अधिकारी,
लखनऊ।

संख्या- प्रश्नोपक्रम ०/०२/२०१४

लखनऊ दिनांक- २१/१२/२०१४

विषय- बाबा एजूकेशन सोसाइटी एण्ड इस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल, ३६ मटियारी, चिनहट, लखनऊ, की
प्रश्नोपक्रम छात्र/छात्राओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के सबंध में।

महोदय

कृपया उपरोक्त विषयक शासन देव संख्या-३७३१/पौष-८-२०१४ एन (१३८) २००८ टी०सी० दिनांक-
३-१२-२०१४ का संदर्भ ग्रहण करे, जिसकी प्रतिलिपि आप को पूछायी है।

इन संदर्भ में बहना है कि उत्तर क च नं संख्या ३७३१/पौष-८-२०१४-एन (१३८)/२००८ टी०सी०
दिनांक-३-१२-२०१४ एव उत्तरादेव संख्या-२५१९, पौष-८-२०१२-एन (१३८)/२००८, दिनांक-२५.१०.२०१२ ने दी
गई उत्तर के अधीन बाबा एजूकेशन सोसाइटी एण्ड इस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल, ३६ मटियारी, चिनहट, लखनऊ,
म प्रशिक्षण हेतु छात्र/छात्राओं को सामुदायिक स्वास्थ्य बन्द, चिनहट, लखनऊ से व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने
की अनुमति निम्न रूपों व प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है।

- १- सामान्य उपचारिका प्रशिक्षणों की डिश्ट्री डिला विकित्सालय पर मिथमित रूप से कार्यस्त उपचारिकाओं
के साथ लगायी जायेगी जिससे भरीजों को विकित्सीय स्थिति स्थान रूप से प्राप्त होगी। तथा जिसी
संस्था की उपचारिका प्रशिक्षणों के राजकीय विकित्सालय में कोई दुर्घटना/संपर्कों की हाति होने की
ममांसा अधीक्षक जिला विकित्सालय नंदित नंस्था को चढ़ देती तर कार्यवाही की सस्तुति करेंगे तथा
मुख्य विकित्सा अधीक्षक उक्त प्रशिक्षणों का पर्लेज पूर्ण हान पर व्यवहारिक प्रशिक्षण का प्रमाण चढ़ निर्मल
हरण। उक्त व्यवहारिक प्रशिक्षण न्यूनतम ५० नाह की उदादि कर हान।
- २- सामान्य उपचारिका प्रशिक्षणों को प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण संस्था द्वारा प्रत्येक उपचारिका प्रशिक्षण की दर से उत्तमाह हेतु रूपया-१०००/- यूजर चार्ज ले रूप में जमा किया जायेगा।
- ३- निजी केंद्र के सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्थानों को अधिकतम ०५ वीच को ही व्यवहारिक प्रशिक्षण दिये
जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। उन्न अनुमति नुख्य विकास अधिकारी एव मुख्य विकित्सा
अधिकारी की संयुक्त आख्या पर महानिदेशक की सस्तुति के आधार पर शासन द्वारा ०५ वीं हेतु निर्गत की
जायेगी।
- ४- सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्था की शासन द्वारा निर्गत अनुमति का नवीनीकरण गुणवत्ता के आधार पर
कै-प्रति कै प्रस्तर-३ मे वर्णित अवधि तक के लिये महानिदेशक, विकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाये, उ०५०
द्वारा किया जायेगा।
- ५- उक्त सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्थानों को दी गयी अनुमति को दिना कोई लाला बदाये किसी भी
स्वयं द्वासन द्वारा निरक्षत किया जा सकता है।

मवदीय,

संख्या- प्रश्नोपक्रम ०/०२/२०१४ / १०७६४-६५

तददिनांक

अपर निदेशक(प्रशिक्षण)

प्रतिलिपि निम्नलिखित वो सूचनाथ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-


१- राजेव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ विकित्सा उन्नाम-५,

२- बाबा एजूकेशन सोसाइटी एण्ड इस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल, ३६ मटियारी, चिनहट, लखनऊ-२२६०२८

Baba Educational Society
Institute Of Paramedical
College of Nursing
Chinhat, Lucknow-226028

मुद्रित 2015/17566

- प्रातिलिपि कामेश्वर, समराजन एवं उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज सामिदशक विभाग के स्वास्थ्य सेवा विभाग, लखनऊ के द्वारा बहुतायत 02/04/2014 10:34-45 दिनांक 29/12/14 के क्रम में इस निदेश के साथ प्रीफ़िट कि दावा एजूकेशनल सोसायटी एवं 2001/2002 वाय परामर्शिकल, 56 मटियारी विनहट, लखनऊ की एकटीन एकड़ी हतु नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।
- 2- प्रातिलिपि निम्नलिखित को सूचनाये एवं आवश्यक कार्यवाही हतु प्रयित-
- उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन विकिता अनुगम- 6
 - महानिदेशक, विकिता एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
 - उपर निदेशक, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
 - निदेशक, दावा एजूकेशनल सोसायटी एवं इस्टीट्यूट आफ परामर्शिकल, 56 मटियारी विनहट, लखनऊ।
 - उपर मुख्य विकिता प्रिकारी/ नोडल अधिकारी प्रशिक्षण, लखनऊ।


मुख्य विकिता अधिकारी
लखनऊ।



BABA Educational Society
Institute of Para-Medicals

पत्रांक : 029 / 11

दिनांक : 29.03.11

सेवा में,

अधीक्षक
सी.एच.सी. चिनहट.
लखनऊ.

विषय : आकजीलरी नर्सेस एण्ड मिडवाइव्स (ए.एन.एम.) प्रशिक्षण के प्रशिक्षणार्थियों का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में फील्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराने हेतु स्थाई अनुमति देने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी का फुटनोट दिनांक 21.11.08 के क्रम में संस्थान के ए.एन.एम. प्रशिक्षणार्थियों को फील्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए संस्थान को स्थाई अनुमति प्राप्त है। जिसके क्रम में प्रशिक्षणार्थियों को उपरोक्त प्रशिक्षण के लिए आपके पास भेजा जा रहा है।

कृपया प्रशिक्षण की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

(आर.के. वाजपेयी)

निदेशक

संलग्नक : 1

Kindly affix
in next hatch.
R.S.
2/4/11 14-3-2011
K

Baba Educational Society
Institute Of Paramedical
College of Nursing
Chinhat, Lucknow-226028

56, Matiyari, Deva Road, Chinhat, Lucknow (U. P.) Tel - (0522) 2509052, 2818535, 2818545

56, Matiyari, Deva Road, Chinhat, Lucknow (U. P.)



School of Nursing

BABA Educational Society
Institute of Para-Medicals

पत्रांक : 326 / 12

दिनांक : 27.12.2012

सेवा में,

अधीक्षक,
सी.एच.सी. चिनहट,
लखनऊ।

विषय: आकजीलरी नर्सेस एण्ड मिडवाइंस (ए.एन.एम.) प्रशिक्षण के प्रशिक्षणार्थियों का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में फील्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराने हेतु स्थाई अनुमति देने के सम्बन्ध में।

महोदय,


नुस्ख विकित्ता अधिकारी का फुटनोट दिनांक 21.11.2008 के क्रम में संस्थान के ए.एन.एम. प्रशिक्षणार्थियों को फील्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए संस्थान को स्थाई अनुमति प्राप्त है। जिसके क्रम में प्रशिक्षणार्थियों को उपरोक्त प्रशिक्षण के लिए आपके पास 2 माह के लिए भेजा जा रहा है।

कृपया 2 माह के प्रशिक्षण की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।


(आर.के. वाजपेयी)
निदेशक

संलग्नक : 1

27/12/2012





School of Nursing
BABA Educational Society
Institute of Para-Medicals

पत्र सं० - ५३३/०८

दिनांक - २१.११.०८

सेवा मे,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
 लखनऊ

विषय—आकलरी नर्सिंग एण्ड निहाइफरी (ए.एन.एम.) प्रशिक्षण के प्रशिक्षणार्थियों का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में फील्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराने हेतु स्थाई अनुमति देने के सम्बन्ध में।

महोदय,

बाबा एजूकेशनल सोसाइटी द्वारा संचालित इस्टीट्यूट ऑफ पैसेन्डिकल में संचालित ए.एन.एम. प्रशिक्षण हेतु फील्ड ट्रेनिंग के लिये कृपया अपने अधीनस्थ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिनहट, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मल्लौहर जो इकाक चिनहट क्षेत्र में स्थापित प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराने हेतु संस्था को अनुमति देने की कृपा करें एवं बी.आर.डी. हास्पिटल, महानगर, लखनऊ में क्लीनिकल प्रशिक्षण हेतु अनुमति देने की कृपा करें।

महोदय संस्था को ए.एन.एम. प्रशिक्षण बलाने हेतु उ०प्र० शासन से अनिवार्यता प्रमाण पत्र है तथा भारतीय उपचर्या परिषद् नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त एवं उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ से सम्बद्ध है।

Subdtt Ctr Chinhat
Subdtt BPD Hsp
Please provide necessary
Cooperation. Shb
Abd
21-11-08
Chief Medical Officer
Lucknow

[Signature]
 (आर.के.वाजपेयी)
 निदेशक

Baba Educational Society
 Institute Of Paramedical
 College of Nursing
 Chinhat, Lucknow-226028

प्रेषक : मुख्य विकित्सा अधिकारी
जनपद-लखनऊ।

सेवा में

महानिदेशक
विकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

११.६.१५

पत्रांक : मु०चि०अ०/निर्जी संख्या/व्य०प्रसि०/प्रस्ताव/ 2014 /

दिनांक : 10.06.2014

विषय : बाबा एजूकेशनल सोसाइटी एप्ड इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरेडिकल, ५६-मटियारी (चिनहट), लखनऊ के जी०एन०एम०/ए०एन०एम० छात्र-छात्राओं को समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-चिनहट में व्यक्तिगत प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

मामोदण,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत करना है कि बाबा एजूकेशनल सोसाइटी एप्ड इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरेडिकल, ५६-मटियारी (चिनहट), लखनऊ के पत्र दिनांक 25.03.2014 द्वारा उनके संस्थान में अव्ययनरत् जी०एन०एम०/ए०एन०एम० छात्र-छात्राओं को समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-चिनहट, लखनऊ में व्यक्तिगत प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है जिसके लिए मैं शासनादेश संख्या : 2519/पौ०-८-२०१२-ए०० (१३४)/२०११ दिनांक 25.10.2012 एवं महानिदेशालय परिषद् संख्या : प्र०प्र०४५५०/५०९६-९८ दिनांक 26.11.2012 ने दी गयी व्यवस्था के अनुसार मुख्य विकित्सा अधिकारी, लखनऊ, से एवं मुख्य विकित्सा अधिकारी, लखनऊ की सकुकत आलया एवं संस्थापि सहित प्रस्ताव कराया जाना अपेक्षित है।

अवगत कराना है कि उक्तानुसार प्रदत्त निर्देशों के अनुसार संस्थान में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की गयी जिस पर मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा संस्थापि भुंदान की गयी है जिसे पत्र के साथ संलग्न कर अवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

मरमी

संलग्नक : सभोक्ता (कुल पृष्ठ- ०८)

मुख्य विकित्सा अधिकारी
लखनऊ

पत्रांक : मु०चि०अ०/निर्जी संख्या/व्य०प्रसि०/प्रस्ताव/2014/ ८३४९-१

ददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपस्थिति के लिए सूचनाये सुन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिला अधिकारी, लखनऊ।
2. मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।
3. मुख्य विकित्सा अधिकारी, लखनऊ।
4. प्रधानाधारी बाबा एजूकेशनल सोसाइटी एप्ड इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरेडिकल, ५६-मटियारी (चिनहट), लखनऊ

मुख्य विकित्सा अधिकारी
लखनऊ



School of Nursing -
BABA Educational Society
Institute of Para-Medicals

दिनांक : 17.01.2012

पत्रांक : 27 / 12

सेवा में,

अधीक्षक
सी.एच.सी. चिनहट,
लखनऊ

विषय: आकृजीलरी नर्सेस एण्ड मिडवाइस (ए.एन.एम.) प्रशिक्षण के प्रशिक्षणार्थियों का
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में फील्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग
कराने हेतु स्थाई अनुमति देने के संबन्ध में।

महोदय,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी का फुटनोट दिनांक 21.11.2008 के क्रम में संस्थान
के ए.एन.एम. प्रशिक्षणार्थियों को फील्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए संस्थान को स्थाई
अनुमति प्राप्त है। जिसके क्रम में प्रशिक्षणार्थियों को उपरोक्त प्रशिक्षण के लिए आपके
पास 1 माह के लिए भेजा जा रहा है।

कृपया 1 माह के प्रशिक्षण की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

(अमृता दासगोपी)

निदेशक

संलग्नक : 1

Baba Educational Society
Institute Of Paramedical
College of Nursing
Chinhat, Lucknow-226028

प्राप्तक

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा मे

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,
डॉ राम मनोहर लोहिया,
सयुक्त चिकित्सा गोमती नगर,
लखनऊ।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,
जिला महिला चिकित्सालय,
मेरठ।

संख्या— प्रशिक्षणक्रमो / / 2014 /

लखनऊ, दिनांक—28/4/2015

विषय— जी0एन0एम0 छात्र/छात्राओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या—1013/पौष-8-2015-एन(138)/2008टी0सी0, दिनांक—23.04.2015, का संदर्भ ब्रह्मण करें।

इस संबंध में कहना है कि शासन के पत्र संख्या—1013/पौष-8-2015-एन(138)/2008टी0सी0, दिनांक—23.04.2015, एवं शासनादेश संख्या—2519/पौष-8-2012-एन(138)/2008, दिनांक—25.10.2012, मे दी गयी शर्तों के अधीन बादा एजूकेशन सोसाइटी एवं इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, 56—मटियारी, चिनहट, लखनऊ, डॉ राम मनोहर लोहिया सयुक्त चिकित्सालय, गोमती नगर, लखनऊ, एवं आईआईएन0टी0 कालेज ऑफ मेडिकल साईंसेज, गोमती नगर, मेरठ, जिला महिला चिकित्सालय मेरठ, मे प्रशिक्षणस्थान जी0एन0एम0 छात्र/छात्राओं को जिला महिला चिकित्सालय मेरठ, ते व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने की अनुमति निम्न शर्तों पर प्रदीवन्द्वारा की अदान प्रदान की जाती है।

1— सामान्य उपचारिका प्रशिक्षुओं की हियूटी जिला चिकित्सालय पर नियमित रूप से कार्यस्त उपचारिकाओं के साथ लगायी जायेगी जिससे मरीजों को चिकित्सारीय सुविधा सुचारू रूप से प्राप्त होगी तथा निजी संख्या की उपचारिका प्रशिक्षुओं के राजकीय चिकित्सालयों मे कोई दुर्घटना/रोगियों की झाति होने की समावना अधिकल जिला चिकित्सालय संबंधित संख्या को पत्र प्रेषित कर कार्यवाही की सम्पुष्टि करेंगे तथा नुस्खा चिकित्सा अधीक्षक उक्त प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण पूर्ण होने पर व्यवहारिक प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र निर्गत करें। उक्त व्यवहारिक प्रशिक्षण न्यूनतम 06 माह की अवधि का होगा।

सामान्य उपचारिका प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण संख्या द्वारा प्रदेश उपचारिका प्रशिक्षु की दर से छ माह हेतु रूपया—1000/- यूजर चार्ज के रूप मे जमा किया जायेगा।

2— निजी क्लिंज के सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण उक्तना उक्त अधिकतम 05 दिन का ही व्यवहारिक प्रशिक्षण दिये जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। उक्त अनुमति नुस्खा विकास अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी की सयुक्त आमद्या पर महानिदेशक की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा 05 वर्षों हेतु निर्गत की जायेगी।

3— सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संख्या की शासन द्वारा निर्गत अनुमति का नटानीकरण गुणवत्ता के अधार पर वर्ष—प्रति वर्ष प्रस्तर—3 मे वर्गित अपरिवर्तनीय तरीके के लिये महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, उप्र० द्वारा किया जायेगा।

4— उक्त सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संख्यानों को दी गयी अनुमति को बिना कोई कारण बताये किसी भी समय शासन द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

मवदीय

पत्र संख्या—प्रशिक्षणक्रमो / 2398 / 2014 83 65-67

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुमान—8.
- ✓ बादा एजूकेशन सोसाइटी एवं इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, 56—मटियारी, चिनहट, लखनऊ
3. आईआईएन0टी0 कालेज ऑफ मेडिकल साईंसेज, गोमती नगर, मेरठ।

अपर निदेशक(प्रशिक्षण)

तददिनांक

प्रेषकः

निदेशक एवं प्रमुख अधीक्षक,
डॉ। राम मनोहर लोहिया संयुक्त
चिकित्सालय गोमती नगर लखनऊ।

सेवा में

निदेशक,
स्कूल आफ नर्सिंग
बाबा राजकेशन सोसाइटी
इन्स्टीट्यूट आफ पैरामेडिकलज लखनऊ।

संख्या:

विषय:-

निर्देशीय/रामलोहिया/प्रश्न/2017

८३५७

दिनांक १५ दिसम्बर, 2017

डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी की प्रशिक्षार्थियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदयः

उपर्युक्त विषयक आप अपने कार्यालय के पत्र संख्या— 290/17 दिनांक 22-11-2017 का सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र के नायक से आपने अपने संस्थान के डिप्लोमा इन जनरल चिकित्सालय में अनुमति दिये जाने का अनुरोध किया है। आपके उक्त पत्र के कम में आपके संस्थान के डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी के 60 छात्र/छात्राओं को निम्न शर्तों के अधीन दिनांक 01-01-2018 से ३ नाह हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण की अनुमति इससे नहानिदेशालय के पत्रक-प्रश्न/०२/२०१४/७४६७ दिनांक 21-11-2017 ने हाता निहित शर्तों एवं प्रतिवेदनों के अधीन प्रदान की जाती है।

- 1- प्रशिक्षण हेतु रु 1000=00 रुपये छात्र द्वारा जमा करना सुनिश्चित करें। द्वारा जमा करने के उपरान्त ही प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
- 2- प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से प्रत्येक छात्र को नियमित रूप से उपस्थित होकर चिकित्सालय में प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 3- प्रशिक्षण अवधि में यदि कोई प्रशिक्षणार्थी अनुमति नहीं होता है या छोड़ता है तो उसका प्रशिक्षण समाप्त कर दिया जायेगा जिसका लक्ष्य उत्तरदायित्व सम्बंधित प्रशिक्षणार्थी/आपके सम्मान का है।
- 4- प्रशिक्षण अवधि में चिकित्सालय के निर्देश का उल्लंघन करना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण अवधि = इस विज्ञापन से कोई विस्तृत नहीं होता प्रदान नहीं की जाएगी।

मर्वदीय,

(संजीव कुमार)

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
उक्तादिनांक

२०१४
प्रतिलिपि

निर्देशीय/रामलोहिया/प्रश्न/2017/

१-

नर्सिंग अधीक्षक डॉ। राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय गोमती नगर लखनऊ को

सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ व्यक्ति गति आप अपने निदेशन में उक्त संस्थान के छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षण प्रदान कराना सुनिश्चित करें।

चिकित्सा अधीक्षक डॉ। राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय लखनऊ।

२-

संयुक्त संचिय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा अनुभाग-४ उ०प्र० शासन।

३-

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, प्रशिक्षण अनुभाग उ०प्र० स्वास्थ्य भवन लखनऊ।

४-

(संजीव कुमार)

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक

प्रेषकः

महानिदेशक
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
लखनऊ।

संख्या—प्रशिक्षणो/02/2014/२७

लखनऊ दिनांक 18/12/2017

विषय—बाबा एजूकेशन सोसाइटी एण्ड इस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, 56—गटियारी, चिनहट, लखनऊ की जी०एन०एम० छात्र/छात्राओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक निदेशक, बाबा एजूकेशन सोसाइटी एण्ड इस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स लखनऊ के प्रार्थना पत्र दिनांक 15.12.2017 एवं शासनादेश संख्या—3731/पौच-८-2014-एन(138)/2008.टी०सी० दिनांक 03.12.2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस संबंध में कहना है कि शासन के पत्र संख्या—3731/पौच-८-2014-एन(138)/2008.टी०सी० दिनांक 03.12.2014 एवं शासनादेश संख्या—2519/पौच-८-2012-एन(138)/2008, दिनांक 25.10.2012, में दी गयी लातों के उद्दीन बाबा एजूकेशन सोसाइटी एण्ड इस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स लखनऊ ने प्रशिक्षणरत (60) जी०एन०एम० छात्र/छात्राओं को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन शामु०स्था० केन्द्र चिनहट लखनऊ से (वर्ष 2018) हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने की अनुमति निम्न लातों व प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है।

- 1—सामान्य उपचारिका प्रशिक्षुओं को डिल्टी जिला चिकित्सालय पर नियमित रूप से कार्यरत उपचारिकाओं के साथ लगाती जायेगी जिससे लातों का चिकित्सीय तुष्टिका सुचारा रूप से प्राप्त होगी तथा निजी संख्या की उपचारिका प्रशिक्षुओं के राजकीय चिकित्सालयों में कोई दुर्घटना/रोगियों की हत्ति होने की समावना अवधारक जिला चिकित्सालय संबंधित लातों को पत्र प्रेषित कर कार्यदाही की सस्तुति करें तथा मुख्य प्रशिक्षा अधिकारक उक्त प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण नुर्ग होने पर व्यवहारिक प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र प्रियंत करें। उक्त व्यावहारिक प्रशिक्षण मूल्यताम् 06 नाह की अवधि का होगा।
- 2—सामान्य उपचारिका प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण संस्था द्वारा प्रत्येक सुपचारिका प्रशिक्षु की दर से छ. माह हेतु रूपया—1000/- यूजर चार्जिंग के रूप में जमा किया जायेगा।
- 3—निजी केंद्र के सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्थानों को अधिकाराम् 05 बैच को ही व्यावहारिक प्रशिक्षण दिये जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। उक्त अनुमति मुख्य प्रिक्टस अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी की संयुक्त आस्था पर महानिदेशक की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा 06 वर्षों हेतु निर्मत की जायेगी।
- 4—सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्था की शासन द्वारा निर्मत अनुमति का नवीनीकरण गुणवत्ता के आधार पर वर्ष-प्रति वर्ष प्रस्तर-3 में वर्णित अवधि तक के लिये महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, उ०प्र० द्वारा किया जायेगा।
- 5—उक्त सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्थानों को दी गयी अनुमति को दिना कोई करण बताये किसी भी समय शासन द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

मंददीर्घ

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

पत्र संख्या—प्रशिक्षणो/02/2014/

तददिनांक।

प्रतिलिपि: प्रधानाचार्य, बाबा एजूकेशन सोसाइटी एण्ड इस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, 56—गटियारी, चिनहट, लखनऊ

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

महानिदेशक
विभिन्न एवं सामर्थ्य उद्योग
उत्तर प्रदेश सरकार।
द्वारा दी
मुख्य विकित्सा अधिकारी,
लखनऊ।

संख्या- प्रशिक्षणी०/०१/२०१४/२५
ठिप्पर- बाबा एजूकेशन सोसाइटी एवं इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स ५६-मटियारी चिनहट
लखनऊ की अधिकारी एवं प्रशिक्षण विभाग की व्यवहारिक प्रशिक्षण इकाय द्वारा दिए जाने के
सम्बन्ध में।

भाग-१
बाबा एजूकेशन सोसाइटी एवं इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स ५६-मटियारी चिनहट
लखनऊ के प्रार्थना पड़ दिनांक १५.१२.२०१७ एवं शासनादेश संख्या-३७३१/पैक-८-२०१४-एन(३८)
/२०१८/टीपी०१ दिनांक ०२.१२.२०१४ का सर्वोच्च दण्डन दर्शन का कथा क्या?

इस संबन्ध में बताना है कि लखनऊ के पड़ दण्डन-३७३१/पैक-८-२०१४-एन(३८)/२०१८/टीपी०१
दिनांक ०२.१२.२०१४ एवं शासनादेश संख्या-३७३१/पैक-८-२०१८/एन(३८)/२०१८ दिनांक २५.१०.२०१२ में
दी गयी झड़ी के अधीन बाबा एजूकेशन सोसाइटी एवं इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स लखनऊ में प्रशिक्षण
(५६) नीट-एसएस प्रश्न/लकड़ी को तुलना प्रिक्लिन अधिकारी के अधीन सम्मुखीय बोर्ड नियुक्त लखनऊ
में (वर्ष २०१०) हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रशिक्षण दर्शन दर्शन के अनुसार निम्न रूपीय एवं प्रतिवर्ती के अधीन प्रदान की
जाती है।

- १- लखनऊ एजूकेशन प्रिक्लिन अधिकारी की दियूटी दिनांक प्रिक्लिनात्मक पर नियमित समय से बदौनत उपचारिकाओं के
समय साथी लखनऊ के अधीन बाबा एजूकेशन सोसाइटी एवं इन्स्टीट्यूट लखनऊ के प्रथम औरी लखनऊ नियमी संख्या वर्ती
उपचारिक प्रिक्लिन अधिकारी के अधीन प्रिक्लिनात्मकों में लोई इर्विंग/ऐमिले की छाती होने की उपचारन
प्रोत्तेक दिनांक प्रिक्लिनात्मक संस्थित संख्या को पड़ घोषित कर बदौनत अधिकारी की संस्कृती जर्मनी लखनऊ तुलना
प्रिक्लिन अधिकारी उपचारिक उपचारिक अधिकारी यो इर्विंग दूरं होने की व्यवहारिक प्रिक्लिन का प्रबन्ध पड़ रियत करने।
उपचारिक प्रिक्लिन अधिकारी ०५ वर्ष की उम्र का बदौनत का देखा।
- २- लखनऊ एजूकेशन प्रिक्लिन को प्रिक्लिन हेतु प्रिक्लिन संख्या द्वारा प्रदत्त उपचारिक प्रिक्लिन की दर से ५
वर्ष हेतु सम्प्त-१०००/- यूपर लागत के समय में दर्शन दिया जाता है।
- ३- नियमी दंड के साथाप्य एप्रिलीन प्रिक्लिन संख्याएँ जो क्रमिकानं ५८ दंड के ही व्यवहारिक ज्ञेयान दिये
जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। उपचारिक अनुमति यूपर दिया जाने वाला अधिकारी एवं तुलना प्रिक्लिन अधिकारी की
संस्कृत अनुमति यह व्यवहारिक की संस्कृती के अधार पर यात्रा द्वारा ५८ दंड हेतु नियमी की जाती है।
- ४- लखनऊ एप्रिलीन प्रिक्लिन संख्या की लखनऊ द्वारा प्रिक्लिन अधिकारी का नीट-एसएस तुलना के अधार पर^{५८-५८}
५८-५८ एवं इसका १८ दंडित अधिकारी दर्शन के लिये नीट-एसएस प्रिक्लिन एवं लखनऊ दिया जाता है।
- ५- उपचारिक प्रिक्लिन दर्शन संख्याएँ जो ही ५८-५८ अनुमति को दिया जाए तब उपचारिक प्रिक्लिन की साथ
लखनऊ द्वारा नियमी दिया जा सकता है।

पड़ दण्डन-प्रशिक्षणी०/०१/२०१४/
ठिप्पर- अन्यायारी, बाबा एजूकेशन सोसाइटी एवं इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, ५६-मटियारी, चिनहट,
लखनऊ।

संस्कृत नियेक (प्रिक्लिन)

कार्यालय मुख्य विकित्सा अधिकारी, जनपद-लखनऊ।

पत्रांक : मू०षि०३०/निजीवि०३०/प्रशि०/२०१७/१६२१६-५

दिनांक २२/१२/१७

१. प्रतिलिपि विकित्साधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिनहट, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यालयी हेतु इस नियेक के साथ प्रेषित कि नहानिदेशालय के उपरोक्त पड़ ने वर्णित हातों/
प्रतिवर्ती को अधीन व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम लघुलित करायें तथा इस तथ्य का विशेष ध्यान
रखा जाये कि प्रशिक्षण अवधि में विकित्सात्मक का राजकीय कार्य किसी भी दशा में बाधित न होने
पाएं।
२. प्रतिलिपि प्रधानाचार्य बाबा एजूकेशन सोसाइटी एवं इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स,
५६-मटियारी, चिनहट, लखनऊ को सूचनार्थ।
३. प्रतिलिपि क्षेत्रीय अपर मुख्य विकित्साधिकारी, लखनऊ को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यालयी हेतु
प्रेषित।
४. प्रतिलिपि महानिदेशक, विकित्सा एवं रक्तस्थूल संघाव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

निर्देशक एवं प्रमुख अधीक्षक,
कह यान् ननौहन् लोहण सम्पत्ति
दिक्षित्वालय नामती लग्ब लघुपत्र

二四

100

राष्ट्रीय लोक नाचेशं

१०८ राजकीय सामुदायिक

इन्हें दोहरायें आप बिना विद्युत के भी काम कर सकते हैं।

卷之三

विजय—

मिहान्त्रामधीन राज्यालयी असि । ६३४९

6349

दिनांक १२ दिसंबर, २०१७

डिप्लॉमा इन जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी हेतु अनुमति के सम्बन्ध में।

五

उपर्युक्त विषयक आप अपने कार्यालय के पत्र सख्ता— 290/17 दिनांक 22-11-2017 का सदर्म ग्रहण करने का कष्ट करें। नवार्जित पत्र को मान्यम हो आपने अपने संस्थान के हिस्सोंमें इन उच्चतम नियमों द्वारा विभाइफरी के 60 छात्र / छात्राओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु ३० रुप मन्त्रालय द्वारा संयुक्त विकासमंडल में अनुमति दिये जाने जा ऊनुग्रह किए हैं। आपके लक्ष पत्र के कान में उच्चतम संस्थान के हिस्सोंमें इन उच्चतम नियम एवं विभाइफरी के ६० छात्र/छात्राओं को मिल जाते जा लेंगे। दिनांक 01-01-2018 से छठ माह हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण को उन्नती शास्त्र / महानिदेशालय के ट्रैक-प्रशिक्षणका ०१/०२/२०१४/७४६७ दिनांक 21-11-2017 में द्वारा मिहिस शर्तों एवं प्रतिक्रियों के अधीन प्रदात की जाएंगी।

- प्रतिकृष्ण हेतु ₹ 1000=00 रुपि छात्र हृतक उमा कामा मुनिशिष्ट लड़ी हृतक उमा कामा के उपरान्त ही पश्चिम प्रदाम किए जाएंगे।
 - प्रतिकृष्ण प्रदाम होने की विधि में भविक छात्र का नियमित रूप से उपरिषिष्ट हाजर दिखित्यापन के प्रतिकृष्ण छात्र कामा इन्हें हृतक है।
 - पश्चिम अवधि में दोषी चाहे प्रतिकृष्णाद्वये हृतकिष्ट होता है या छोड़ता है तो उक्त अवधि के दिन तारीख जिसका दस्तावेज उत्तराधिकारी द्वारा दिलाया गया तब उपरिषिष्ट प्रतिकृष्णाद्वये हृतक उपरान्त का होता।
 - प्रतिकृष्ण अवधि में दिखित्यापन के विषय का बाल्य यहाँ अनियाय होगा। प्रतिकृष्ण अवधि में दिखित्यापन के विषय का बाल्य यहाँ अनियाय होगा।

三

200

(सजीव कुमार) सुख्य विकित्सा अधीक्षक
वर्तनप्रियाक

四〇三

परिवार

卷之三

- 1- नासन अधिकारका डॉ। राम मनहार लाहिया संयुक्त विकित्सालय गोमती नगर लखनऊ के सूबनाथ एवं इह निर्देश के ताप्त प्रभित कि आप अपने निर्देशन, मे उक्त स्थान के छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षण प्रदान करने तुलिष्ट फर ,
 2- विकित्सा अनुबंध डॉ। राम मनहार लाहिया संयुक्त विकित्सालय लखनऊ,
 3- संयुक्त संचिव, विकित्सा एवं स्वास्थ्य विकित्सा अनुभाग-४ उ०प्र० शासन
 4- महानिर्देशक, विकित्सा एवं स्वास्थ्य संबाध, प्रशिक्षण अनुभाग उ०प्र० स्वास्थ्य भवन लखनऊ।

(संजीव कुमार)
मुख्य दिक्षिता अभिनन्दन

Baba Educational Society
Institute Of Paramedical
College of Nursing
Chinhat, Lucknow-226028

मात्रानिर्देशक,
लिपिकालय एवं स्थानकालीन
उत्तर प्रदेश विधानसभा

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
संख्यनक्त ।

नस्त्रियां का दिनांक ३०/८/२०१९

विषय - ग्रन्थालय का १०/१२/२०१५
विषय - ग्रन्थालय का १०/१२/२०१५

2014-15 का वित्तीय वर्ष से इसका नाम बदलकर अधिकारी विभाग का वित्तीय वर्ष 2014-15 का वित्तीय वर्ष है।

प्रभावी एवं इसीलिये उक्त पैशांसेहिकान्स लखनऊ = बहुतामा (60) दीर्घ समय पूर्वक सोसाइटी एवं इसीलिये उक्त पैशांसेहिकान्स लखनऊ = बहुतामा (60)

१०५८ विषयालय के अधीन संस्कृत विषय का अध्ययन करने वाले छात्रों को इसका अध्ययन करने के लिए उपलब्ध है।

For more information about the study, contact Dr. Michael J. Klag at (301) 435-2900 or via e-mail at klag@mail.nih.gov.

विद्युत वित्त की विभिन्न वित्त कोड लाइन विद्युत वित्त की विभिन्न वित्त

मात्र निर्देश किया जा सकता है।

www.technip.com

३०४

संख्या प्रक्रियापत्र/02/2014 / 4313

प्रतिलिपि निवासक घर के रात्रिकाल सोसाइटी एड इस्टीट्यूट ऑफ ईरन इंजिनियर्स तख्तनके का संधानात् प्राप्तिकर कार्ययोगी हैं। प्रधित।

१८६१-१९

निदेशक एवं प्रभुतु अधीक्षक,
डा० राम मनोहर लोहिया संयुक्त
चिकित्सालय, गोमती नगर, लखनऊ।

लेखा मे

निदेशक

स्कूल आफ नर्सिंग
बाबा एल्जुकेशन सोसाइटी,
इन्स्टीट्यूट आफ पैरामेडिकलस लखनऊ।
संख्या:- निवेदप्र०अधी०/राम०लो०चि०/प्रशि०/2017 / दिनांक २१ अप्र० 2017
पिछ्य:- डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी की प्रशिक्षार्थियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आप अपने कार्यालय के पत्र संख्या- ०५६/१७ दिनांक 25-03-2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र के माध्यम से आपने अपने संस्थान के डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी के 60 छात्र छात्राओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु डा० राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय में अनुमति दिये जाने का अनुरोध किया है। आपके उक्त पत्र के कम में आपके संस्थान के डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी के 60 छात्र छात्राओं को निम्न शर्तों के अधीन दिनांक 01-05-2017 से छः माह हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण की अनुमति शासन/ महानिदेशालय के द्वारा निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है।

- 1- प्रशिक्षण हेतु रु 1000=00 प्रति छात्र शुल्क जमा करना सुनिश्चित करें। शुल्क जमा करने के उपरान्त ही प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
- 2- प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से प्रत्येक छात्र को नियमित रूप से उपस्थित होकर चिकित्सालय में प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 3- प्रशिक्षण अवधि में यदि कोई प्रशिक्षणार्थी अनुपस्थित होता है या छोड़ता है तो उसका प्रशिक्षण समाप्त कर दिया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित प्रशिक्षणार्थी/आपके संस्थान का होगा।
- 4- प्रशिक्षण अवधि में चिकित्सालय के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण अवधि में इस चिकित्सालय से कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी।

भवदीय,

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ।

- पृष्ठा:- निवेदप्र०अधी०/राम०लो०चि०/प्रशि०/2017 / दिनांक २१ अप्र० 2017
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
1- नर्सिंग अधीक्षिका, डा० राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय, गोमती नगर, लखनऊ को सूचनार्थ एवं इस निदेश के साथ प्रेषित कि आप अपने निदेशन में उक्त संस्थान के छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षण प्रदान कराना सुनिश्चित करें।
2- चिकित्सा अधीक्षक, डा० राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय, लखनऊ।
3- संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा अनुभाग-८ उ०प्र० शासन।
4- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, प्रशिक्षण अनुभाग, उ०प्र०, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक।

मानी राम
मुख्य निवेदित
दलील एवं उत्तराना

महानिवेदित
चिकित्सा एवं स्टोम लकड़ी
४००० लखनऊ।

विभागीय अनुमति-६

लिखना

दिनांक २५ अगस्त २०१२

दिव्या- प्रदेश के निजी क्षेत्र हारा संचालित निर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों को समान्तर महादेश उपचारिका प्रशिक्षुओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण दिये जाने के सन्दर्भ में।

उपसुनिकृत विषयक अपने पत्र संख्या-प्रशिक्षणको०/४१६२ दिनांक २८.०८.२०१२ का कृपया सम्मेलन ग्रहण करने का काट करे।

१- इस संख्या में नूठे यह कहने का निर्दश हुआ है कि प्रदेश में निजी सेवा द्वारा संचालित नियंत्रित प्रशिक्षण संस्थानों के उपचारिका प्रशिक्षुओं वाले व्यावहारिक प्रशिक्षण की अनुमति नियमितिहसित शर्तों के अद्यान प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(१) सामान्य उपचारिका प्रशिक्षुओं की दियूटी जिला चिकित्सालय पर नियमित रूप से कार्यरत उपचारिकाओं के साथ लगाई जाएगी जिससे मरीजों वा चिकित्सीय सुविधा नुस्खाल स्वर से प्राप्त होंगी तथा निजी संस्था की उपचारिका प्रशिक्षुओं की राजकीय चिकित्सालयों में काई दुर्घटना/ शिक्षा की दृष्टि होने की समावना कम होंगी तथा यदि कोई दुर्घटना होती है तो उक्त प्रशिक्षुओं के विचार कार्यवाही हेतु मुख्य चिकित्सा अधीक्षण जिला चिकित्सालय सन्दर्भित संस्था को पत्र प्रेषित कर कार्यवाही की सहायता करने लेया नुस्ख चिकित्सा अधीक्षक उक्त प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण पूर्ण होने पर व्यावहारिक प्रशिक्षण का प्रनाली पत्र निर्गत करेंगे। उक्त व्यावहारिक प्रशिक्षण न्यूनतम ०६ माह की अवधि का होगा।

(२) सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण हेतु प्रति प्रशिक्षणार्थी पूर्ण में रु० ५००/- यूजर चार्ज के रूप में प्राप्त किया जाता था। यह सुल्क काफी समय धूर्व निर्धारित किया गया था। बर्तमान में नूल्य वृद्धि के दृष्टिगत यूजर चार्ज के रूप में प्रति प्रशिक्षणार्थी रु०-१०००/- प्राप्त किया जायेगा।

(३) निजी क्षेत्र के सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्थानों को अधिकातम ०५ दैद की ही व्यावहारिक प्रशिक्षण दिये जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। उक्त अनुमति मुख्य विकास अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी की संयुक्त आद्या पर महानिवेदित की संस्तुति के आधार पर ज्ञासन द्वारा ०५ दैद हेतु निर्गत की जाएगी।



मानव उपचारिका प्रशिक्षण संस्थानी की शासन द्वारा निर्भूत
उपचारिका संस्थान के आधार पर एप्प-पर्टी-एप्प प्रशिक्षण-३ में अन्ति-
क और अंतिम समाप्तिदेशीक विज्ञिता एवं संस्थान के द्वारा दिया
दिया जाएगा।

इसके लिए उपचारिका द्वारा दी प्रस्तुति है कि उल्लंग समान्वय उपचारिका उपचारिका
संस्थान को दी गयी अनुमति वो बिना किसी कठन बतायी फिरो भी समय नहीं
मिला किया जा सकता है।

कृपया नदनुसार समान्वय उपचारिका प्रशिक्षणी वो व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया
गया की सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित रूप से दर्शाएं दर्शाएं करें।

मनोज
(ज०पी० शमा)
अनुच्छ सचिव

Baba Educational Society
Institute Of Paramedical
College of Nursing
Chinhat, Lucknow-226028

प्रति दिन 12/2014 संख्या ८२/८१
कांगड़ा जिल्हा सासाइटी के अधिकारी और उत्तराखण्ड में सहित विभिन्न विभागों की सम्पर्क सुनिश्चित रखने के लिए जाने के लाभान्वयन।

कृपया दस्तावेज़ विधिक नियमों का अनुलेखन समझदारी प्राप्त इस्टीट्यू आर्स प्राप्तिकर्त्त्व उच्चानुकूल अधिकारों द्वारा दिनांक 01.01.2015 के गतिविधियों के बारे में विवरणीय रूप से 10-3 पार्श्व-8-2015-प्राप्ति-2008 द्वारा दिनांक 23.04.2015 को रखदान यसके लिए करें।

१. भारतीय ट्रिप्पलरिका प्रशिक्षकों जो व्युठा वित्तीय एवं नियमित रूप से कामरख उपचारिकाओं के साथ व्यापक ज्ञानी विद्याय में विद्यार्थीय स्तरियत बहुत लम्बे समय से प्राप्त होने वाली नियमित संस्था की उपरान्त अधिकारी अधिकारीयों के राजकीय विद्यालयों में काइ दृष्टिना नामियों की लाति शास की समाजना अधीकार वित्तीय विद्यालय संबंधित संस्था जो व्यापकता कर दिया गया है औ संस्थानी अधीकारक उद्देश्यों को प्रशिक्षण प्रणाली एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण का व्यवाण पञ्च नियंत्रित करना। उक्त व्यवहारिक प्रशिक्षण व्यवस्था ०६ माह की अवधि का होगा।

2- सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण का प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण संस्था द्वारा प्रत्येक उपचारिका प्रशिक्षण की दर से ७ रुपये हेतु रुपया-1,000/- युजर इनैर ऑफिस में जमा किया जाएगा।

3- नियंत्री हावे का सामान्य उपचारिक प्रशिक्षण सरस्थानों को अधिकालम १५ बेंच को ही व्यावहारिक प्रशिक्षण दिये जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। उक्त अनुमति मुख्य विकास अधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी की सम्मुक्त आलोग पर महानिदेशक की सम्मुति के आधार पर जारी होता है। इसका दृष्टान्त 05 वर्षों हेतु नियंत्र की जाएगी।

4- सामान्य उपधारिका प्रशिक्षण सत्त्वा की शासन हुआ निर्गम अनुभवि का नवीनीकरण मृष्णवत्ता के आधार पर वर्ध-प्रति वर्ध प्रस्तर-3 में वर्णित अवधि तक के लिये महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये उप्र० द्वारा किया जायेगा।

5- उक्त सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण सम्पादनों को दी गयी अनुमति को बिना कोई कारण बताये किसी भी समय शासन हारा निररत किया जा सकता है।

भावदीय ।

संख्या-प्रशिक्षणको०/०२/२०१४/६३

संदिनौक

निदेशक (प्रसिद्धण)

प्रतिलिपि: प्रधानाधार्य बाबा एजूकेशन सोसाइटी एण्ड इस्टीट्यू ऑफ पैरामेडिकल्स, 56-मठियारी, चिनहट लखनऊ।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

प्राचीनदृष्टक
चिकित्सा एव स्वास्थ्य रेयाद्
सुत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महाय चिकित्सा अधीक्षक
उपराम मनोहर लोहिया संस्कृत चिकित्सालय
गोपीनाथर लखनऊ।

लखनऊ दिनांक ०५/४/२०१४ संख्या ८३११
सभा चयनकाल / ०२ / २०१४ / ८३११ विषय जी०१००-१०१०० छात्र/छात्राओं को व्यवहारिक पश्चिमाण हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

新詩

तद्दिनांक

संख्या पुस्तिको ० / ०२ / २०१४ ।

प्रतिलिपि निवेशक, याद रजूकरान चालाइटी एण्ड इस्टोटेक्स ऑफ इन ओफिस
आलूडक कार्यवाही हनु प्रेषित।

संयुक्त निट्रोजन का (प्रशिक्षण)

Glance

महानीति

क्रमांक	संचयन का नाम	संबंधित विकिसालय, जहाँ से गवाहाचिक प्रशिक्षण प्राप्त किया जाता है
1.	कृष्ण एवं शुभ और बाधा मोर्टगेज साइट्स विकासकी	विला 142, सालर (महिला) / 500 सारांखरी
2.	बाबा भूमिकार बोरियाडी एवं दरविरदुर्ग ओपी प्रैस्ट्रिक्यल 56 मार्टिपारी विनहर विनहर	सामुदायिक वापर केन्द्र विनहर / विनहर
3.	मौ गुडवी एवं गहापिलालय निर्माण ट्रैनिंग सेंटर कन्दाडीह बलिया	बलिया विकिसालय बलिया
4.	मौ रामती गोगोरियल निर्माण कालजा, फलेहपुर	मूल्य विकिसाधिकारी बलिया के ज्ञान प्राप्तिग्राहक रवास्थ्य केन्द्र, मिठोरा / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हुसेनगञ्ज, फलेहपुर
5.	काशी-पात्र निर्माण एवं पैरामेडिकल कालजा, रामगढ़-पुर बाड़ी छुदे, गाजीपुर	विला विकिसालय, गाजीपुर / मूल्य विकिसाधिकारी, गाजीपुर के अधीन सामुदायिक रवास्थ्य केन्द्र

四庫全書

ਪੀ0ਏਨ0 ਸਿੰਘ
ਵਿਲੋਗ ਸਾਹਿਤ

पी०ए०सि०
विशेष विभाग
लखनऊ उत्तर प्रदेश

संघर्ष म.

महानिदेशक
विकित्सा एवं स्वास्थ्य शाला
उ०प्र० लखनऊ।

विविरण अनुमति

लखनऊ दिनांक २५ अक्टूबर २०१५

विषय — जी०ए०ए०सि० के छात्र/छात्राओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण इनु अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उम्पुक्त विषयक आपक पञ्च चतुर्व्या प्रशि०/प्रका०/०२/२०१४/१०७८ दिनांक १३-३-२०१५ एवं प्रशि०/प्रका०/१४२/२०१४/१०७१ दिनांक १३-३-२०१५ के मध्यमे मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि निम्नलिखित संस्थानों के जी०ए०ए०सि० के छात्र/छात्राओं को उनके सम्मुख अकित विकित्सालयों से भी व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु अनुमति द्वासनादेश सख्त्य-२५१९/पौष-८-२०१२-एन(१३८)/२००८ दिनांक २५-१०-२०१२ मे उल्लिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है—

क्रमांक	संस्थान का नाम	संबंधित विकित्सालय, जहां से व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया जाना है
१.	बाबा एजूकेशन सोसाइटी एवं इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, ५६-मटियारी, चिनहट, लखनऊ	डॉ राम मनोहर लोहिया संगुला विकित्सालय, गोमती नगर, लखनऊ।
२.	आई०आई०ए०टी० कालेज आफ मेडिकल साईंसेज, गंगानगर, मेरठ	जिला महिला विकित्सालय, मेरठ।

मर्दीय,

(पी०ए०सि० सिंह)
विशेष सचिव।

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा
उत्तर प्रदेश।

लगा मे

मुख्य चिकित्सा प्रशिक्षक
ज्ञान मनोहर लाहिया संयुक्त चिकित्सालय
नामी नगर, लखनऊ।

संख्या—प्रशिक्षणो/02/2014

विषय—बाबा एजूकेशन सोसाइटी एण्ड इस्टीट्यू ऑफ परामेडिकल्स, 56-मठियारी चिनहट, लखनऊ की जी०एन०एम० छात्र/छात्राओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

कृपया उपरोक्त विषयक निदेशक बाबा एजूकेशन सोसाइटी एण्ड इस्टीट्यू ऑफ परामेडिकल्स लखनऊ के प्राथमिक पत्र दिनोंका 01.01.2019 एवं शासनादेश संख्या-1013/पांच-४-2015-एन(138)/2008 दी०सी० दिनोंका 23.04.2015 का सदर्म ग्रहण करने का कष्ट करे।

इस सम्बन्ध में कहना है कि शासन के पत्र संख्या-1013/पांच-४-2015-एन(138)/2008, दी०सी० दिनोंका 23.04.2015 एवं शासनादेश संख्या-2519/पांच-६-2012-एन(138)/2006, दिनोंका 25.10.2012 में दी गयी इती के अधीन निदेशक, बाबा एजूकेशन सोसाइटी एण्ड इस्टीट्यू ऑफ परामेडिकल्स लखनऊ में प्रशिक्षणार्थी (60) जी०एन०एम० छात्र/छात्राओं को ज्ञान मनोहर लाहिया संयुक्त चिकित्सालय, नामी नगर, लखनऊ के अधीन प्रदान की जाती है।

1- सामान्य उपचारिका प्रशिक्षुओं को उद्योग जिला चिकित्सालय पर नियमित रूप से कार्यरत उपचारिकाओं के साथ लगायी जायेगी, जिससे मरीजों को चिकित्सीय सुविधा सुचान नप-से प्राप्त होती तथा किसी संस्था की उपचारिका प्रशिक्षुओं के राजकीय चिकित्सालयों में कोई दुर्घटना/संतोषी की लहरी होने की अभावना अविकाक उक्त चिकित्सालय सब्वित संस्था को एड प्रेसिट कर कार्यवाही की संस्कृति करने तथा भव्य व्यवहारिक प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र निर्गत करने। उक्त व्यवहारिक प्रशिक्षण न्यूनतम 06 माह की अवधि का होगा।

2- सामान्य उपचारिका प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण संस्था हारा प्रत्येक उपचारिका प्रशिक्षु की दर से उम्मीद हेतु रुपया-1,000/- यूजर चार्जेज के रूप में जमा किया जायेगा।

3- निजी क्लेन के सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्थानों को अधिकतम 05 बेन्च को ही व्यवहारिक प्रशिक्षण दिये जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। उक्त अनुमति मुख्य विकास जधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी की संयुक्त आल्या पर महानिदेशक की संस्कृति के आधार पर शासन हारा पर शासन हारा निर्गत अनुमति जायेगी।

4- सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्था की शासन हारा निर्गत अनुमति का नवीनीकरण गुणवत्ता के आधार पर वर्ष-प्रति वर्ष प्रस्तर-3 में वर्णित अवधि तक के लिये महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, उ०प्र० हारा किया जायेगा।

5- उक्त सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्थानों को दी गयी अनुमति को बिना कोई कारण बताये किसी भी समय शासन हारा निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय

निदेशक (प्रशिक्षण)

संख्या—प्रशिक्षणो/02/2014/ 03

प्रतिलिपि प्रधानाचार्य बाबा एजूकेशन सोसाइटी एण्ड इस्टीट्यू ऑफ परामेडिकल्स, 56-मठियारी, चिनहट, लखनऊ।

W
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद-लखनऊ।

पत्रांक : मु०चि०आ०/Baba Inst./17-18/2017/ 16215-3

दिनांक २२/१२/८

चिकित्सावीकार
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
विनहट, लखनऊ।

विषय : बाबा एजूकेशनल सोसाइटी एण्ड इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, लखनऊ में अध्ययनरत ए०एन०एम० छात्र/छात्राओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत करना है कि प्रधानाचार्य, बाबा एजूकेशनल सोसाइटी एण्ड इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, ५६-गटियारी, विनहट, लखनऊ द्वारा अपने संरक्षण में अध्ययनरत ए०एन०एम० छात्र/छात्राओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण दिये जाने हेतु महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ को सम्बोधित पत्र दिनांक ०७.१२.१७ के माध्यम से अनुरोध किया गया था जिसे चंद्रकृत निदेशक (प्रशिक्षण) द्वारा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

उक्त के प्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि दिष्यमत् सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा इस तथ्य का विशेष व्यान रखा जाये कि प्रशिक्षण अवधि में चिकित्सालय का चाजकीय कार्य किसी भी दशा ने बाधित न होने पायें।




मुख्य चिकित्सा अधिकारी
लखनऊ

पत्रांक : मु०चि०आ०/Baba Inst./17-18/2017/ 16215-3

ठार्डिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अपर मुख्य चिकित्साविकारी, लखनऊ
3. प्रधानाचार्य, बाबा एजूकेशनल सोसाइटी एण्ड इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, ५६-गटियारी, विनहट, लखनऊ।



मुख्य चिकित्सा अधिकारी
लखनऊ

卷之三

महानिदेशक
विकिरण एवं स्वास्थ्य विभाग
प्रधान राजनीति

Digitized by srujanika@gmail.com

Digitized by srujanika@gmail.com

विषय - वी०६१०५४० के २०१३/ २०१४ के अधिकारिक प्रतिक्रिया द्वारा अनुसन्धान जैसे विषयों के सम्बन्ध में।

• 2012-03-27

21-10-2014	मुमिनाहूँ	12	15/2014	10054	(14)4	22-10-2014	41	2014
21-10-2014	10225	12	15/2014	10054	(14)4	22-10-2014	41	2014
21-10-2014	प्रभा देवी	112	20/2014	10078	10-11-07-11-2014	के लिए	41	2014
21-10-2014	मिशन कम के लिए फ्रैंचार्ट विकास की अधिकारियों के लिए / बहुत कम के लिए	112	20/2014	10078	10-11-07-11-2014	के लिए	41	2014
21-10-2014	प्रभा देवी	112	20/2014	10078	10-11-07-11-2014	के लिए	41	2014
21-10-2014	2009/104/3-2012-100102)	2009	20/10/2014	10078	10-11-07-11-2012	के लिए	41	2012

क्रमांक	संस्कृत का नाम	संस्कृत विकासालय, जहाँ ये प्रशिक्षण प्राप्त किया जाता है
1.	कृष्ण एवं शृङ्गराम के बारे में विवरण कृष्णना विवरणी	विवरणी विवरण (भृत्या) विवरणी
2.	देव विवरणों विवरणी एवं विवरण ओम विवरणों विवरणी एवं विवरण विवरणी विवरणी	विवरणी विवरणी विवरणी
3.	मौ मूली दक्षि विवरणों विवरण द्विनिम सं-दक्षि विवरणों विवरण	विवरणों विवरणी विवरणी
4.	मौ रामली विवरणों विवरण फलेश्वर	विवरणों विवरणी विवरणी प्राचीन विवरणों विवरणी विवरणी विवरणी रामली विवरणी विवरणी विवरणी रामली विवरणी विवरणी विवरणी
5.	काश्चि-विवरण विवरण एवं विवरणों विवरण का विवरण संस्कृत विवरण विवरणी विवरणी	विवरणी विवरणी विवरणी विवरणी विवरणी विवरणी

ਪੀਓਐਨਾ ਸਿਹ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਖ

www.BeaN.cc | et |

Microsoft Word - 20150416.vsd

and the same number of the *Journal of Soil Science* will be sent free to members of the Society.

विषय विभाग नियम विभाग
के अन्तर्गत एवं विभाग के अन्तर्गत
विभाग विभाग के अन्तर्गत एवं विभाग

को लिख के रखा जा सकता है कि वह अपनी जीवनी का एक अंग है। यह अपनी जीवनी का एक अंग है। यह अपनी जीवनी का एक अंग है।

२. विद्यालय विभागीय अधिकारी द्वारा एक साल के लिए बदला जाना चाहिए।

4- जल संग्रह तथा विद्युतीकरण प्रोजेक्ट का नाम होने का लिए गयी अनुमति जो दिवाकर होड़े ने भवन का नाम रखा है इसका लिए जल संग्रह है।

100

• 100 •

卷之三

Figure 10(b)

અને પણ એક લાંબું સારું ઉત્કૃષ્ટાન વ્યાપકદ્વારા દાખલ કરીને એવું જો હોય તો આપણાની દુનિયાની

ANSWER

कायोलच मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद-लखनऊ

पत्रक: मुख्यमंत्री/लेजिस्लेटिव/कॉर्पो/व्यापारिक/2019/ १५५-२ दिनांक: १८/१९

- परिवेशप्रि प्राकृत्याधीकरण, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, फिनट, लखनऊ का उपरोक्त पत्र में डिल्टिप्रेट निर्देशों का अध्यरथ। अनुपालन लुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित।
 - ग्रामसंस्थि हीनीय अपर मुख्य विभिन्न विकासी, लखनऊ का।

मुख्य विकल्पा अपिकार
जनपद-लक्षणोः।

प्रपत्र

महानिदेशक
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संगठन
लखनऊ प्रदेश।

संदेश-

उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
चिकित्सा अनुभाग-४

पत्र संख्या—प्रशि०/प्रको०/०२/२०१४/ १०७८

लखनऊ : दिनांक-३/५/२०१५

विषय— बाबा एजूकेशन सोसाइटी एवं इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, ५६-मटियारी, चिनहट, लखनऊ की जी०एन०एम० की छात्र/छात्राओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बाबा एजूकेशन सोसाइटी एवं इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, ५६ मटियारी, चिनहट, लखनऊ के पत्र संख्या-०९१/१५, दिनांक-११.०३.२०१५, का सदर्भ ब्रह्मण करे। जिसके हारा बाबा एजूकेशन सोसाइटी एवं इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स की जी०एन०एम०/वी० स०सी० नसिंग छात्र/छात्राओं को ढा० राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय लखनऊ में व्यवहारिक प्रशिक्षण की अनुमति प्रदान की जाए।

इस सम्बन्ध में अधिकार जासना है कि इसनादेश संख्या -३७३१/पौष-८-२०१४-एन(१३८ २००८,टी०सी०, दिनांक-०३.१२.२०१४, हारा बाबा एजूकेशन सोसाइटी एवं इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स लखनऊ की जी०एन०एम० छात्र/छात्राओं को सानु०स्व०कैन्द्र चिनहट लखनऊ, से रासनादेश संख्या-२५१९/पौष-८-२०१२-एन(१३८)/२००८, दिनांक-२५.१०.२०१२, ने दी नयी जर्ती के अधिन महानिदेशालय के आदेश संख्या—प्रशि०/प्रको०/०२/०१४/ १०७६३, दिनांक-२९.१२.२०१४ द्वारा उन्नते प्रदान की गयी है। बाबा एजूकेशन सोसाइटी एवं इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, लखनऊ की जी०एन०एम० छात्र/छात्राओं को ढा० राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय गोमती नगर लखनऊ, से भी व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने का अनुरोध किया है।

रासन से अनुरोध है, बाबा एजूकेशन सोसाइटी एवं इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, लखनऊ की जी०एन०एम० छात्र/छात्राओं को ढा० राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय गोमती नगर लखनऊ, से भी व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के सम्बन्ध में यथोचित आदेश देने की कृपा करें।
संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

अपर निदेशक (प्रशिक्षण)

निदेशक एवं प्रमुख अधीक्षक,
दाठ राम मनोहर लालिया समूक,
यिन्हित्वालय गांमती नगर, लखनऊ।

卷之三

निदेशक,
त्वारुल आफ नर्सिंग
दाता एजुकेशन सोसाइटी
इन्टीडब्लू आफ प्रैसमेडिकलर, लखनऊ।
निदेशन/अधीक्षा / रामनलालचंद्र / प्रिया / 20
हिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एवं मिल्फ
हेतु अनुमति के सम्बन्ध में।

四

二四二

三

三

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਹਮਣਾ

संक्षिप्त

४०

निर्दृष्टिकोशी / राजनीतिकोशी / द्रविड़ / 2017 / 255 - 1 उत्तरायणीक
 निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस पक्ष कार्यपाली हेतु प्रेषित ।
 निर्देश अधीकारक, डॉ राम मनोहर लोहिया संयुक्त विकासालय, गोमती नगर, लखनऊ को सूचनार्थ एवं हस्त निर्देश के साथ प्रेषित कि इस आपने निर्देशन में उक्त संस्थान के छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षण प्रदान कराना सुनिश्चित करे ।
 विकास अधीकारक, डॉ राम मनोहर लोहिया संयुक्त विकासालय, लखनऊ ।
 संयुक्त संचिव, विकास एवं स्वास्थ्य, विकास अनुभाग-४ उत्तर प्रदेश शासन ।
 महानिदेशक, विकास एवं स्वास्थ्य सेवाएं प्रशिक्षण अनुभाग, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य मंदिर, लखनऊ ।

(Signature)

सामाजिक सुधार कार्यक्रम विभाग
लखनऊ लखनऊ

सामाजिक सुधार कार्यक्रम
निवासी

संख्या- प्रश्नप्रक्रो/02/2014

लखनऊ दिनांक- 21/12/2014

ठिकाना- बाबा एजुकेशन सोसाइटी एण्ड इस्टीट्यूट ऑफ परामेडिकल, 56 मठियारी, चिनहट, लखनऊ, की
प्रौद्योगिकी छात्र/छात्राओं का व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के सबूत में।

महादेव

कृपया उपरोक्त उपयक लखनऊ दिनांक-3731 / पौष-८-२०१४ एवं (138) 2008 दौ०सी दिनांक-
३-१२-२०१२ का नंदनी रहना जरूर विभागीय प्रतिलिपि आए का पूर्णांकित है।

उस सबूत में लकड़ा है कि जन्म के पत्र संख्या 3731 / पौष-८-२०१४-०३ 158 / 2008 दौ०सी दिनांक-
३-१२-२०१४ एवं हस्तांक संख्या-2519 / पौष-८-२०१२-०३० (138) / 2008 दिनांक- 29.10.2012 में दी
गई अपौरुष व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए इस्टीट्यूट ऑफ परामेडिकल, 56 मठियारी, चिनहट, लखनऊ,
में प्रौद्योगिकी छात्र/छात्राओं का सामाजिक एवं स्वास्थ्य कार्य चिनहट, लखनऊ से व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने
के लिए विभागीय रूप से अनुमति प्रदान की जाती है।

१- सामाजिक उपचारिका प्रशिक्षण की विधिवती विभाग विकासालय द्वारा नियमित रूप से जन्मजन्म संघर्षिकाओं
के साथ लगायी जायगी जिससे नवीजों को विकित्सीय सुविधा समाज सभ्य से पाप तथा त्याग नियमी
संस्कार की उपचारिका प्रशिक्षण के विकासालय विभागीय संबंधित जन्म को एवं उपर्युक्त विभागीय संस्कार के
साथ उपचारिका विभाग विकासालय संबंधित जन्म जो एवं उपर्युक्त विभागीय संस्कार के विकासालय
विभागीय उपचारिका विभागीय संस्कार के विकासालय पूर्ण होने पर व्यवहारिक प्रशिक्षण का अपौरुष व्यवहारिक
प्रशिक्षण अनुमति प्रदान की जाती है।

२- सामाजिक उपचारिका प्रशिक्षण की प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण जन्म द्वारा प्रत्यक्ष उपचारिका प्रशिक्षण की दर से १५
रुपये दूर्घटना-१००/- दूर्घटना के लिए जन्म किया जायगा।

३- एवं उपर्युक्त का दूर्घटना-१००/- दूर्घटना के लिए जन्म किया जायगा।
४- एवं उपर्युक्त का दूर्घटना-१००/- दूर्घटना के लिए जन्म किया जायगा।
५- एवं उपर्युक्त का दूर्घटना-१००/- दूर्घटना के लिए जन्म किया जायगा।

६- सामाजिक उपचारिका प्रशिक्षण संस्था की जात्तन हारा निर्वात अनुमति का नवीनीकरण गुणवत्ता के आधार पर
वर्ध-प्रति वर्ध-प्रस्तर-३ में वर्णित अवधि तक के लिये महानिदेशक, विकासालय एवं स्वास्थ्य सेवाये, उ००३०
हारा किया जायेगा।

७- उपर्युक्त सामाजिक उपचारिका प्रशिक्षण संस्थानों को दी गयी अनुमति को विना कोई कारण बताये किसी भी
समय बाल्लन हारा निरस्त किया जा सकता है।

मवदीय

संख्या- प्रश्नप्रक्रो/02/2014/ 1= 76465

अपर निवेशक(प्रशिक्षण)

तद्विनांक

पतिलिपि निम्नलिखित को संचारात् एवं आध्यात्मिक कार्यालयी हेतु ऐलिन-


१- उपर्युक्त उत्तर इटेशनल विजिता उम्मान-३,

२- बाबा एजुकेशन सोसाइटी एण्ड इस्टीट्यूट ऑफ परामेडिकल 56 मठियारी, चिनहट, लखनऊ,

Baba Educational Society
Institute Of Paramedical
College of Nursing
Chinhat, Lucknow-226026

प्रौद्योगिकी विभाग
निवेशक एवं विवरण

- प्राप्ति करने वाली है। इसका उत्तराधिकारी नाम अधिकारी प्रशिक्षण संस्था द्वारा दिया गया है। इसका उत्तराधिकारी नाम अधिकारी प्रशिक्षण संस्था द्वारा दिया गया है। इसका उत्तराधिकारी नाम अधिकारी प्रशिक्षण संस्था द्वारा दिया गया है।
- 2- प्रस्तोतारी निम्नलिखित को सूचनाधारी भावशक्ति कार्यवाही हतु प्रियत -
- उप महिला उमर इवाह इमर्जेन्सी डिपार्टमेंट छगुनगढ़ - ८
 - महानिदेशक विकास एवं स्वस्थ नवाच, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
 - अपर निदेशक, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य तथा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
 - निदेशक, बाबा एम्स्कॉल सालायटी एण्ड इंस्टीट्यूट आफ परामिडिकल, ५६ नियारी चिन्हट, लखनऊ।
 - जपर मुख्य चिकित्साधिकारी / नाडुल अधिकारी प्रशिक्षण, लखनऊ।


मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
लखनऊ।

प्रेषक

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सेवाएँ
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
लखनऊ।

संख्या—प्रशिप्रको०/०२/२०१४ /

लखनऊ दिनांक ।।।।। 2019

विषय: जी०एन०एम० छात्र/छात्राओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया निदेशक, बाबा एजूकेशन सोसाइटी एण्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, लखनऊ के पत्र संख्या-४८६ / २०१९, दिनांक ०१.११.२०१९ का संदर्भ ग्रहण करने का काष्ट करे।

उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि महानिदेशालय के पत्र संख्या—प्रशिप्रको०/०२/२०१४ / ४३१३ दिनांक ३०.०६.२०१९ ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चिनहट का आकर्ष नहीं है जिसके कारण नुल्य चिकित्सा उपचारी लखनऊ द्वारा चिकित्सा और काम सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चिनहट, लखनऊ का जाकटन आदेश निर्गत नहीं किया गया है।

इस सम्बन्ध में कहना है कि शासन के पत्र ३७३१/पाच-३-२०१४-एन(१३६)/२००८ द्वितीय दिनांक ०३.१२.२०१४ में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चिनहट लखनऊ का अकर्ष किया गया है किन्तु नहानिदेशालय के पत्र दिनांक ३०.०६.२०१९ = द्वितीय कुटिल्ज न-नुल्यायिक स्वास्थ्य केन्द्र चिनहट लखनऊ का अकर्ष नहीं किया गया है।

अत उपर्युक्त अनुरक्ष है कि बाबा एजूकेशन सोसाइटी एण्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स, लखनऊ ने प्रशिक्षणरत (६०) जी०एन०एम० छात्र/छात्राओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चिनहट लखनऊ = दिन २०१९ व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने का काष्ट करें। रोष शर्त यथावत रहेंगी।

मवदेय

निदेशक (प्रशिक्षण)
तदृदिनांक

संख्या : प्रशिप्रको०/०२/२०१४ / ५३३६

प्रतिलिपि : निदेशक, बाबा एजूकेशन सोसाइटी एण्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल्स लखनऊ को उन्होंने पत्र संख्या-४८६ / २०१९, दिनांक ०१.११.२०१९ के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संगुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

प्राप्त-

महानिदेशक,
विकितसा एवं स्वारक्षण संबंधी
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सदा मे-

मुख्य विकिता अधीक्षक
उत्तर प्रदेश लखनऊ
लंबुका विकिता गामती नगर
लखनऊ।

मुख्य विकिता अधीक्षक
जिला नहिल विकितसालय
मेरठ।

संख्या— प्रशिक्षणको० / २०१४ /
विषय— जी०ए०ए० छात्र/छात्राओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

लखनऊ, दिनांक— २८/५/२०१५

महान्यून्य
मुख्य उपराजा विषयक शासनादेश नंख्या—१०१३/पौष-८-२०१५-एन(१३८)/२००६०१०८०१० दिनांक—२३.०४.
२०१५ का संदर्भ ग्रहण करे।

इन संबंध में कहना है कि शासन के पत्र नंख्या—१०१३/पौष-८-२०१५-एन(१३८)/२००६०१०८०१० दिनांक—२३.
०४.२०१५ द्वारा शासनादेश नंख्या—२५१९/पौष-८-२०१२-एन (१३८)/२००६ दिनांक— २५.१०.२०१२ में दी गयी शर्तों के
डाइन एवं राज्यकान नीताइटी एवं इन्स्टीट्यूट ऑफ एजेंडिकल्स, ५६-मटियारी चिनहट, लखनऊ डॉ रम अंगेन
ताहिय लंबुका विकितसालय, गामती नगर, लखनऊ, एवं आईआईएम०टी० कालेज ऑफ मेडिकल लंबुका संबंधी
संस्था, चित्त नहिल विकितसालय नेट, एवं प्रशिक्षण जी०ए०ए० छात्र/छात्राओं को जिला नहिल विकितसालय
मेरठ से व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने की अनुमति निम्न शर्तों व प्रतिक्रिया के अधीन प्रदान की जाती है:

- १- तामान्य उपचारिका प्रशिक्षुओं को डियूटी जिला विकितसालय पर नियन्त्रित होने से कार्यकारी उपचारिका के
सभी लगाती जायेंगी जिससे मरीजों का विकितसालय सुचारू रूप से प्राप्त होगी तथा निम्नी सस्थान की
उपचारिका प्रशिक्षुओं के प्राप्तकीय विकितसालय में कोई दुर्घटना/संत्रियों की मृति होने की समावना अधिकारक
जिला विकितसालय संबंधी सस्थान को पत्र प्रेषित कर कायदाहारी की सत्त्वात् करेग तथा उच्च विकितसा
लंबुका लंबुका प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण पूर्ण होने पर व्यवहारिक प्रशिक्षण का द्वारा पत्र निर्माता औरने उच्च
व्यवहारिक प्रशिक्षण न्यूनतम ०६ नाह की अवधि का होगा।
तामान्य उपचारिका प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण सेवा प्रशिक्षण सस्थान द्वारा प्रत्येक उपचारिका प्रशिक्षु को दर से उ
मह हुत नंख्या—१०००/- द्वारा आर्जित करने वाला किया जाएगा।
२- निम्नी संबंध के समान्य उपचारिका प्रशिक्षण सस्थानों को आधिकारी एवं दैवत को ही व्यवहारिक लंबुका द्वारा
जाने की अनुमति प्रदान की जायेंगी। उक्त अनुमति मुख्य विकिता अधिकारी एवं मुख्य विकिता अधिकारी की
संयुक्त आग्रह पर महानीदेशादा की दस्ती—आग्रह पर २.५८ लाख रुपये प्रति वर्ष निर्धारित की जायेंगी।
३- तामान्य उपचारिका प्रशिक्षण संस्था एवं शासन द्वारा निर्माता अनुमति का नवीनीकरण गुणवत्ता के आधार पर
वर्ष-प्रति वर्ष प्रस्तर-३ में वर्णित अवधि तक के लिये महानिदेशक, विकिता एवं स्वारक्षण संबंध, जी०ए०ए० द्वारा
किया जायेगा।
४- उक्त समान्य उपचारिका प्रशिक्षण सस्थानों को दी गयी अनुमति को बिना कोई कारण बताये किसी भी समय
शासन द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

मंददीर्घ

पत्र संख्या—प्रशिक्षणको० / २३९६ / २०१४ ८३६५-६७

अपर निदेशक(प्रशिक्षण)
तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थी एवं आवश्यक कायदाहारी हेतु प्रेषित—

१. उप संचिव, उत्तर प्रदेश शासन विकिता अनुमान—८.
२. वाक एकांकश नीताइटी एवं इन्स्टीट्यूट ऑफ एजेंडिकल्स, ५६- मटियारी चिनहट, लखनऊ
३. आईआईएम०टी० कालेज ऑफ मेडिकल लंबुका, गंगानगर, मेरठ

ग्रंथक,

निदेशक एवं प्रमुख अधीक्षक,
डा० राम मनोहर लोहिया संयुक्त
चिकित्सालय, गोमती नगर, लखनऊ।

लेखा मे,

निदेशक,
स्कूल आफ नर्सिंग बाबा एजूकेशन सोसाइटी
इन्स्टीट्यूट आफ पैरा मेडिकल

संख्या:

रा०म०लो०चि०/व्यव०प्रशि०/२०१९/५७५३

दिनांक २३ जनवरी २०१९

विषय:-

जी०ए०ए०म०(सत्र २०१८-१९ के ६० प्रशिक्षणार्थियों के व्यवहारिक प्रशिक्षण के सम्बन्ध में।

नहोदय,

उपर्युक्त विषयक आप अपने पत्राक ००६/१९ दिनांक ०३.०१.२०१९ का संदर्भ उठाएँ करें। संदर्भित पत्र के माध्यम से आप द्वारा आपने संस्थान के जी०ए०ए०म० के कुल (६०) छात्र/छात्राओं को इस चिकित्सालय रे व्यवहारिक (क्लीनिकल प्रशिक्षण कराये जाने हेतु अनुरोध किया है। नहानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ सेवाएँ, उ०प्र०.लखनऊ के पत्र संख्या- प्रशि०प्रक्र०/०२/२०१४/०२ दिनांक ०२.०१.२०१९ में निर्दित हार्ती के अन्तर्गत आपके संस्थान के उक्त प्रशिक्षणार्थियों को दिनांक ०१-०२-२०१९ से छ. माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण जिस ज्ञान के अधीन प्रदान किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।-

१- प्रशिक्षण हेतु ₹० १००००० प्रति छात्र शुल्क जमा करना सुनिश्चित करें। शुल्क जमा करने के उपरान्त १ प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

२- व्यवहारिक प्रशिक्षण दो बैच में प्रदान किया जाएगा। प्रातः ८.०० बजे से उपरान्त २.०० बजे तक उपरान्त २.०० बजे से रात्रि ८.०० बजे तक।

३- प्रारम्भ होने की तिथि से छ. माह तक इस बैच के प्रत्येक छात्र को नियमित रूप से उपस्थित होने चिकित्सालय ने प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

४- प्रशिक्षण हेतु जी०ए०ए०छात्र/ए०ए०ए० छात्र/छात्राओं को जोई वित्तीय सहायता इस संस्थान द्वारा नहीं दी जायेगी।

५- इस बैच में केवल उन्हीं (६०) छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जिनका शुल्क जान द्वारा उक्त किया जायेगा तथा शुल्क जमा करने वाले छात्र/छात्राओं की सूची इस कार्यालय को प्रदत्त करेंगे।

नवदीय,

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
उक्त दिनांक

प०स०: निदेशक/नर्सिंग/प्रशि०/२०१९/

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

१- नर्सिंग अधीक्षिका, डा० राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय, गोमती नगर, लखनऊ को सूचनार्थ एवं इस नि

के साथ प्रेषित कि आप अपने निदेशन में प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कराना सुनिश्चित करें।

२- निदेशक एवं प्रमुख अधीक्षक, डा० राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय, गोमती नगर, लखनऊ।

३- नहानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, प्रशिक्षण अनुबान, उ०प्र०.स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक